अब्राहम लिंकन की कविता

शिक्षक से

अध्यापक महोदय, मेरे बच्चे को पढाना
कि संसार में दुष्ट होते हैं, तो आदर्श नायक भी
कि जीवन में शत्रु हैं तो मित्र भी हैं।
उसे बताना कि श्रम से मिला एक रुपया,
बिनाश्रम के मिले पांच रुपये से
अधिक मुल्यवान है।

उसे सिखाना की पराजित कैसे हुआ जाता है,
यदि तुम उसे सिखा सको तो सिखाना
कि ईर्ष्या से दूर कैसे रहा जाता है।
उसे पुष्तकों के आश्चर्यलोक का
ज्ञान अवश्य कराना
किन्तु उसे इतना समय भी देना
कि वह नीले आकाश में विवरण करते
पक्षी समूह के शाश्वत सत्य को जान सके।
हरे-भरे पर्वतों की गोद में खिले फूलों के देख सके।

वह जान ले कि पाठशाला में
अनुत्तीर्ण होना सम्मानजनक है
अपेक्षाकृत किसी को धोखा देने के।
मेरे पुत्र को ऐसा मनोबल देना कि
वह भीड़ का अनुसरण न करे
उसे सिखाना कि
जब सभी एक स्वर में गाते हों
तब वह धैर्य से उन्हें सुने
किन्तु वह जो कुछ सुने
उसे सत्य की छलनी में छान ले।

वह शोर करने वाली भीड़ पर कान न दे
और यदि वह समझे कि वह सही है
तो उस पर दृढ़ रहे और लड़े।
उसे अपने विचारों में दृढ़ आस्था रखना सिखाना
चाहे उसे सभी कहें कि यह विचार गलत है, तब भी
उसे सिखाना सज्जन के साथ सज्जन रहना है
और कठोर के साथ कठोर
उसे सिखाना कि
दुख में कैसे हंसा जाता है।

उसे समझाना कि
आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं होती।
तुनकमिजाजों को लताड़ना उसे सिखाना
और यह भी कि अधिक मधुभाषियों से
सावधान कैसे रहा जाता है।
उसके साथ सुकोमल व्यवहार करना
पर अधिक दुलारना भी मत
क्योंकि अग्नि परीक्षा ही इस्पात को
सुन्दर-सुदृढ़ बनाती है।

अधीर होने का साहस भी उसमें उत्पन्न करना
और बहादुर होने का धैर्य भी।
उसे सिखाना कि वह सदैव
अपने आप में उदात्त आस्था रखे
क्योंकि तभी वह मनुष्य जाति में
उदात्त आस्था रख पाएगा।

अभी ये हाल है आगे क्या होगा

मौर्या उद्योग फ़रीदाबाद में गैस सिलेण्डर बनाने वाला एक बड़ा कारखाना है। इसमें एल.पी.जी. तथा अन्य गैसों के सिलेण्डर बनाये जाते हैं। यह सोहना रोड पर सैक्टर 55 (रिहायशी कॉलोनी) से लगा हुआ है। इसमें लगभग 2000 मज़दूर काम करते हैं। मज़दूरों की संख्या के लिहाज से भी यह एक बड़ा उद्योग है। कभी सिलेण्डर रिपेयिरिंग के काम से शुरू हुए इस उद्योग का सामान्य दिनों में उत्पादन 6000 से 7000 सिलेण्डर प्रतिदिन तथा अधिक मांग होने पर 10,000 से 12,000 सिलेण्डर प्रतिदिन है। उद्योग में काम दो पालियों (प्रत्येक पाली 12 घण्टा) में चलता है। दिन की पाली तथा रात की पाली। पूरे उद्योग का काम लगभग 10 अलग विभागों में बंटा हुआ है। फ़ोर्जिंग, टूल रूम, सिलेण्डर प्लॉट, प्रेस शॉप, पेन्ट शॉप, मैटलाइजिंग, 3 पीस, रेगुलेटर, बाल्व प्लांट और मेंटीनेंस आदि।

उद्योग का मालिक नवनीत सुरेखा है। उद्योग की शुरूआत नवनीत के पिता विष्णु सुरेखा ने रिपेयरिंग के काम से की थी। उद्योग का एम.डी. (प्रबंध निदेशक) के एम.वाई. है। उसके नीचे अलग-अलग विभागों के मैनेजर तथा सुपरवाइज़र आते हैं। उद्योग का एम.डी. कभी मज़दूरों से मुखातिब नहीं होता है। स्टाफ़ के अलावा कोई कर्मचारी स्थायी नहीं है। बहुत थोड़े मज़दूर कम्पनी द्वारा अस्थायी नियुक्त किये गये हैं और ज्यादातर मज़दूर ठेका मज़दूर है। विभिन्न विभागों जैसे बाल्व, रेगुलेटर आदि में महिलाएं भी काम करती है। टूल रूम और मेंटिनेंस को छोड़कर बाकी सभी विभागों में वेतन बहुत कम है। मेंटिनेंस में 10,000 से 12,000 रुपये वेतन पाने वाले कुछ अतिकुशल मज़दूर हैं। टूल रूम में भी वेतन 12,000 या इससे अधिक है। अन्य जगहों पर जहां ज़्यादातर मज़दूर काम करते हैं, वेतन 5 से 6 हज़ार के बीच है। वेल्डर आदि कुशल मज़दूरों का वेतन लगभग 8000 है। कई महिला मज़दूरों को तो 4000 से 4500 वेतन में भी 8 घंटा खटाया जाता है। कम उम्र के बच्चों को भी काम पर रख लिया जाता है। अचानक कभी फ़िर निकाल दिया जाता है। कुछ सेवा निवृत (60 वर्ष से अधिक) लोगों को भी काम पर रख लिया जाता है। और वह भी बहुत कम वेतन पर। ठेका मज़दूरों को वेतन 12-16 तारीख के बीच दिया जाता है तथा अन्य को 7 तारीख को।

इतने बड़े उद्योग में अनिवार्य कानूनी चीज़ें भी लागू नहीं की जाती हैं। ठेके पर भर्ती किये जाने वाले मज़दूरों को 2-3 सालों तक पीएफ़ और ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती। बड़ी संख्या में ऐसे मज़दूर हैं जिनका ईएसआई कार्ड नहीं है। मज़दूर बहुत बुरी परिस्थितियों में फ़ोर्जिंग,मैटलाईजिंग आदि विभागों में काम करते हैं। कुछ विभागों में तो दम घोंटू धुंआ भरा रहता है। फैक्टरी में आये दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। महिलाओं से भी 12-12 घंटे काम कराया जाता है। मज़दूरों को सेफ्टी शूज और वर्दी देने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी अचानक कुछ मज़दूरों को वर्दी दे दी जाती है। फ़िर कई सालों यह मुद्दा गायब रहता है। मज़दूरों के लिये कैंटीन की व्यवस्था नहीं है।

इतने बड़े उद्योग में भी मज़दूरों की कोई यूनियन नहीं है। यूनियन का न होना मालिकों को और निरंकुश बना देता है। मज़दूरों के ये हालात तब हैं जब औपचारिक तौर पर श्रम कानून मौजूद हैं। श्रम कानूनों में मज़दूर विरोधी बदलावों के बाद तो मज़दूरों की हालत और बदतर होंगे। यह हालात उस उद्योग के मज़दूरों के है जहां ज़्यादातर उत्पादन का निर्यात किया जाता है और मोटा मुनाफ़ा कमाया जाता है।

-एक मज़दूर फ़रीदाबाद

अतिक्रमण हटाओ अभियान, कितना असली कितना नकली

प्रशासन की खत्म हो चुकी साख का नमूना

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के किसी भी बाज़ार में शायद ही कोई दुकान वाला होगा जिसने दुकान के आगे अपनी क्षमतानुसार सड़क न घेर रखी हो। और तो और शहर की तंग गलियों में बैठे दुकानदार भी फुट-दो फुट सड़क घेरना अपना परम कर्त्तव्य समझते हैं। और कुछ न मिले तो एक-आध स्टूल या कुर्सी रख कर ही सड़क घेर लेंगे।

मीडिया के लगातार शोर मचाने एवं नागरिक समूहों के पुरज़ोर प्रयास के बाद 18 अगस्त को प्रशासन के कान पर थोड़ी सी जूं रेंगी। एक नम्बर मार्केट में सड़कों से कब्ज़े हटाने का कुछ प्रयास शुरू किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लाखों रुपया खर्च करके किया गया यह 'प्रयास' वास्तविक कम और दिखावटी ज़्यादा नज़र आया। इस तरह का यह अभियान न तो पहला है और न ही अन्तिम। कभी-कभार प्रशासन को झिंझोड़ कर जब नींद से उठाया जाता है तो वह खानापूर्ति करने वाला ऐसा दिखावटी नाटक करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेता है। कब्ज़े हटाने का नाटक करते समय कर्मचारी दुकानदारों को साथ-साथ कहते रहते हैं कि साहब आये खड़े हैं एक बार तो हटा लो....। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी कब्ज़े हटाने का काम मजबूरी में कर रहे हैं, उनके जाने के बाद फ़िर से बेशक कब्ज़ा कर लिया जाय।

यदि राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा-शक्ति हो तो यदा-कदा, बतौर अनुष्ठान कब्ज़ा हटाने का यह स्वांग न करना पड़े। साखयुक्त प्रशासन यदि एक बार घोषित कर दे कि अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने के साथ-साथ सामान भी ज़ब्त कर लिया जायेगा तो किसी की हिम्मत न हो एक इन्च पर भी अतिक्रमण करने की। यह तो लुंज-पुंज सरकार एवं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का ही परिणाम है कि कोई इनकी परवाह नहीं करता। कोई भी दुकानदार इनके आदेशों एवं घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लेता। हर दुकानदार को इन बिकाऊ नेताओं व अधिकारियों की औकात का पता है।

समझने वाली बात यह है कि जब कोई दुकानदार पहली बार थोड़ा सा अतिक्रमण करता है तो वह मन ही मन घबराता है। छोटा सा भी प्रशासनिक कर्मचारी आंख दिखाता है तो वह हाथ-पैर जोड़ता है, कर्मचारी को 'सेवा-पानी' ऑफ़र करता है। जब कर्मचारी एक बार 'सेवा-पानी' स्वीकार कर लेता है तो दुकानदार की छाती एकदम चौड़ी हो जाती है; कुछ अरसे बाद इतनी चौड़ी हो जाती है कि वह अतिक्रमण को अपना अधिकार समझते हुए कर्मचारी तो क्या अधिकारी तक को आंख दिखाने लगता है। इसी तरह एक दुकान से दूसरी व तीसरी तक यह रोग सारे बाज़ारों में फ़ैलता चला जाता है। इतना ही नहीं दुकानदारों में आपसी होड़ भी चलती है। एक ने अपना सामान सड़क पर 6 फुट तक फ़ैलाया है तो दूसरा 7 फुट तक फ़ैलायेगा, बल्कि कुछेक दुकानदारों को तो न चाहते हुए भी, इस होड़ के कारण मजबूरी में अपना सामान सड़क पर फ़ैलाना पड़ता है।

कभी-कभार चलाये जाने वाले अतिक्रमण हटाओ अभियानों का जनता यह भी अर्थ निकालती है कि अधिकारियों को कुछ 'सेवा-पानी' की जरूरत है खासतौर पर जब कोई नया अधिकारी तैनात होकर आता है तो उसकी शुरूआती फूं-फ़ां तो शत प्रतिशत अर्थ यही होता है। 'हूडा' का लगभग हर नया प्रशासक एक बार जरूर सेक्टरों की मार्केटों में घूमता है। दुकानदारों पर गुर्राता है, उन्हें उनका अतिक्रमण दिखा कर अपने कनिष्ठ अधिकारियों को 'सख्त' कार्यवाही करने के आदेश देता है। परंतु इसके बावजूद तमाम अतिक्रमण ज्यों के त्यों बने रहते हैं। कारण और निहितार्थ स्पष्ट हैं। इतना ही नहीं हर रेहड़ी वाला नगर निगम अथवा 'हूडा' वालों के अलावा पुलिस को भी 'सेवा-पानी' देता है तब जाकर कहीं वह सड़क पर खड़ा हो सकता है। उसकी जगह के लिये आसानी से नियम व व्यवस्था लागू हो सकते हैं। लेकिन तब लूट जो बंद हो जायेगी।

कुछ लोग केवल विरोध की ही राजनीति करते हैं। जैसे आजकल कांग्रेसी बल्लबगढ़ शहर में कर रहे हैं। गत चुनाव में जनता द्वारा दुत्कार दिये जाने के बाद अब ये लोग उन दुकानदारों के पक्ष में खड़े होने का नाटक कर रहे हैं जिनके सड़कों पर से नाजायज़ कब्ज़े

प्रशासन द्वारा हटाये जा रहे हैं। इन तथाकथित नेताओं को यह बड़ा भारी भ्रम है कि इससे उनका वोट बैंक बढेगा। वैसे भाजपा भी यही काम करती अगर वह सत्ता में न होकर विपक्ष में होती।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. हेम बुक डिपो, नियर सैन्ट्रल लाईब्रेरी, न्यू कैम्पस,जे.एन.यू।
10. स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब